रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072021-228331
CG-DL-E-16072021-228331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 16, 2021/आषाढ़ 25, 1943
No. 392] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 16, 2021/ASHADHA 25, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 490(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9 के साथ पठित धारा 76में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा केन्द्र सरकार, नशीली दवाओं और स्वापक पदार्थ नियमावली, 1985 में संशोधन करके और आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा: –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ. – (1) इन नियमों को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है।

(2) यह भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभाव में आएगा।

2. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में, नियम 58 में, उप-नियम (2), खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(ख) आयात प्रमाण पत्र की मूल प्रति या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेनरेट कि गई प्रतिलिपि जो आयात करने वाले देश की सरकार द्वारा जारी किया हो और संबंधित सरकार के आधिकारिक अनुमोदन को प्रमाणित करता हो;

बशर्ते जहां आयात प्रमाण पत्र आयात करने वाले देश के शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया गया हो, निर्यात प्राधिकरण, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप को बार कोड के माध्यम से या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या आयात करने वाले देश की सरकार के ईमेल के माध्यम से सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा;

बशर्ते आगे कि अगर आयातक देश में पदार्थ नियंत्रित नहीं होता है, निर्यातकर्ता ऐसे आयात प्रमाणपत्र के बदले एक पत्र या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जो इस बात की पुष्टि करेगा कि आयात पर कोई आपत्ति नहीं है या आयात करने वाले देश में पदार्थ नियंत्रित नहीं है".

[फा. सं. एन-11012/03/2017-एनसी-II]

दिनेश बौद्ध, निदेशक

टिप्पणी: प्रधान नियमावली जिसे सा.का.नि. 837(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1985 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और बाद में सा.आ. 786 (अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992, सा.आ. 599 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 1993, सा.का.नि. 748 (अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 543, दिनांक 24 अक्टूबर, 1994, सा.का.नि. 82, दिनांक 14 फरवरी, 1995, सा.का.नि. 556 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 1995, सा.का.नि. 25 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, सा.का.नि. 509 (अ), दिनांक 4 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 350 (अ), दिनांक 25 जून, 1997, सा.का.नि. 214 (अ), दिनांक 19 मार्च, 2002, सा.का.नि. 763 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2002, सा.का.नि. 115 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 129 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 217 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2003, सा.का.नि. 95 (अ), दिनांक 4 फरवरी, 2004, सा.का.नि. 104 (अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005, सा.का.नि. 736 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 639 (अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2006, सा.का.नि. 2 (अ), दिनांक 1 जनवरी, 2008, सा. आ. 1661 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010, सा.आ. 739 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2011, सा.का.नि. 470(अ), दिनांक 21 जून, 2011, सा.का.नि. 905(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2011, सा.का.नि. 426(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 74(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2015, सा.का.नि. 224 (अ), दिनांक 25 मार्च, 2015, सा.का.नि. 359 (अ), दिनांक 5 मई, 2015, और सा.का.नि. 500 (अ), दिनांक 17 जून, 2015, सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016, सा.का.नि. 61(अ), दिनांक 20 जनवरी, 2017, सा.का.नि. 428 (अ), दिनांक 2 मई, 2017, सा.का.नि. 187(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018 सा.का.नि. 215(अ), दिनांक 13 मार्च, 2019, सा.का.नि. 525(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2019 और सा.का.नि. 204(अ), दिनांक 23 मार्च, 2021 के तहत संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2021

G.S.R. 490(E).—In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely: —

1. **Short title and Commencement. -** (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Second Amendment) Rules, 2021

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in rule 58, sub-rule (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

"(b) the import certificate in original or in electronically generated format, issued by the Government of the importing country certifying the official approval of the concerned Government;

Provided that where the import certificate in electronically generated format issued by the Government of importing country, the export authorisation shall be issued, after verification of such electronic format through bar code or through official website or through email of the Government of importing country;

Provided further that in case the substance is not controlled in the importing country, the exporter shall submit a certificate or letter, in lieu of such import certificate, confirming, no objection to the import or that the substance is not controlled in importing country."

[F. No. N/11012/3/2017-NC-II]

DINESH BOUDDH, Director

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended *vide* notifications numbers S.O. 786 (E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599 (E), dated the 10th August, 1993, G.S.R. 748 (E), dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556 (E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25 (E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509 (E), dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350 (E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214 (E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763 (E), dated 14th November, 2002, G.S.R. 115 (E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129 (E), dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217 (E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95 (E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 104 (E), dated the 25th February, 2005,G.S.R. 736 (E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639 (E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 2008, S.O. 1661 (E), dated the 13th July, 2010, S.O. 739 (E), dated the 11th April, 2011, G.S.R. 470(E), dated the 21st June, 2011, G.S.R. 905(E), dated the 28th December, 2011, G.S.R. 426(E), dated the 1st July, 2014, G.S.R. 74(E), dated the 5th February, 2015, G.S.R. 224(E), dated the 25th March, 2015, G.S.R. 359 (E), dated the 5th May, 2015, G.S.R. 500 (E), dated the 17th June, 2015, G.S.R. 685 (E), dated the 12th July, 2016, G.S.R. 61(E), dated the 20th January, 2017, G.S.R 428 (E), dated the 2nd May, 2017, G.S.R 187 (E), dated the 27th February, 2018, G.S.R 215(E), dated the 13th March, 2019, G.S.R 525(E), dated the 25th July, 2019 and G.S.R 204 (E), dated the 23rd March, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.07.16 16:39:11 +05'30'